तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	21/2/	

28/12/2022

उपस्थितः-

श्री मुस्ताक खान, अधिवक्ता अपीलाण्ट।

-:आदेशः-

यह अपील सहायक कलेक्टर जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2020 बउनवान गजानन्द बनाम पांचूराम में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.01.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा घोड़ावड़ तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 447, 448, 449/646, 461, 462, 463 कुल खसरा 6 कुल रकबा 63 बीघा 17 बिस्वा स्थित है। उक्त कृषि भूमि के सहखातेदार बालूराम व गणेशाराम थे तथा गणेशाराम की मृत्यु नाऔलाद हो गयी तथा बालूराम के पुत्र पांचूराम, हापूराम, मोहनलाल तथा सोहनलाल है। गणेशराम की सम्पति भी बालूराम में निहित हो गयी थी। इस प्रकार अपीलाधीन प्रकरण में अपीलाण्ट का 1/4 हिस्सा रहा। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 के द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण भूमि पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 03 द्वारा किसी प्रकार से कोई दावा पेश नहीं किया तथा बिना दावा पेश किये अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया, उसमें रिलीफ 1/8 हिस्से की चाही गयी है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण खसरे में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण ने अपने आदेश दिनांक 08.01.2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

में यह अंकित किया है कि– ''अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा घोड़ावड़ पटवार हल्का घोड़ावड तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 447 रकबा 0–11 बीघा, खसरा नम्बर 448 रकबा 0–08 बीघा, खसरा नम्बर 449/646 रकबा 67–08 बीघा, खसरा नम्बर 461 रकबा 0–18 बीघा, खसरा नम्बर 462 रकबा 100–03 बीघा, ख. नं. 463 रकबा 11–15 बीघा, कुल रकबा 181–03 बीघा व खसरा नम्बर 38 रकबा 14–08 बीघा, खं. न. 281 रकबा 11–03 बीघा, खं. न. 306 रकबा 24–00 बीघा, ख. नं. 377 रकबा 14–08 बीघा कुल रकबा 63–17 बीघा बीघा भूमि आयी हुई है। आगामी तारीख पेश तक अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का बेचान/हस्तान्तरण न करे, जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। वकील प्रार्थीगण आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना में तलबाना/नोटिसेज तीन दिवस में पेश करें।'' न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण के द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयात पर आदेश दिनांक 08.01.2020 पारित करते हुऐ स्थगन आदेश जारी कर दिया। इस प्रकार आलोच्य आदेश अंतरिम आदेश है और मूल वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण में लम्बित है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का निर्णय वाद के अन्तर्गत बाद साक्ष्य होगा परन्तु न्यायालय सहायक कलेक्टर जैतारण के द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3(अ) के तहत बनाये गये प्रावधानों की खुलेआम अनदेखी की गई है। आदेश दिनांक 08.01.2020 को पारित किये जाने के बाद पेशी दिनांक 19.02.2020 नियत की गई। जिसके पश्चात् 1 वर्ष तक उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया। जबकि उपरोक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय 30 दिवस के भीतर किया जाना चाहिए था जो आज दिवस तक नहीं हुआ है। रेंस्पोडेण्ट के द्वारा मात्र अपीलाण्ट को परेशान करने की नियत से उपरोक्त प्रकरण में आगामी कार्यवाही नहीं की जा रही है और न्यायालय के द्वारा भी आदेश 39 नियम 3 (क) जा.दी. के प्रावधानों की अवहेलना की जा रही है। एक माह के अन्दर निस्तारण नहीं करने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आदेशिका में उसका कारण स्पष्ट करना आवश्यक है। सहायक कलेक्टर जैतारण से यह अपेक्षित था कि दोनों पक्षों को सुनकर उनके समक्ष लम्बित धारा 212 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण 30 दिन की अवधि में करते। उनके समक्ष लम्बित धारा 212 के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण नहीं किया जाकर सिर्फ आगामी तारीख पेशियां दी जा रही है, जिसे न्याय की दृष्टि में विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। उक्त मत को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल की फुल बैन्च ने 2014 डी एन जे पेज 67 में व्यक्त किया है जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि– The Trial Court shall be under obligation to dispose of the application of temporary injunction on merits within 30 days of passing such ex parte order as per Rule 3-A of order 39 of the Code.

अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश दिनांक 08.01.2020 को विधि के प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टांतों द्वारा स्थापित न्यायिक सिद्धांत – "जहां कोई व्यादेश विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना दिया गया है वहां न्यायालय आवेदन को ऐसी तारीख से जिसको व्यादेश दिया गया था, 30 दिन के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा और जहां ऐसा करने में असमर्थ है वहां वह ऐसी असमर्थतता के लिए कारण अभिलिखित करेगा।" की पालना नहीं करना कतई उचित नहीं है। अतः उनके आदेश दिनांक 08.01.2020 को निरस्त किया जाता है। न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उभय पक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर एक माह के अन्दर विधि अनुसार अंतिम निर्णय पारित करें। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। उक्त निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली